कार्यालय नजारत, जनपद न्यायालय गाजियाबाद ।

दिनांक: 16.11.2019

नीलामी सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि जिला न्यायालय, गाजियाबाद में मुख्य न्यायालय भवन की बाउण्ड्रीवाल के मलबे की नीलामी दिनांक 02.12.2019 को सायं 04.00 बजे से नजारत हॉल जिला न्यायालय, गाजियाबाद में होगी । संदर्भित बाउण्ड्रीवाल के ध्वस्तीकरण का कार्य क्रेता को स्वयं के खर्चे पर करना होगा तथा मलबे का कब्जा जहां है, जैसा है कि आधार पर किया जायेगा। इच्छुक क्रेतागण नियत दिनांक एवं समय पर नजारत हॉल में उपस्थित हों । नीलामी के नियम व शर्ते किसी भी कार्यदिवस में कार्यालय नजारत, जिला न्यायालय गाजियाबाद में देखी जा सकती है।

16/11/19

(सुधीर कुमार-II)
अध्यक्ष, नीलामी समिति
अपर जिला जज,
न्यायालय संख्या-01, गाजियाबाद ।

जनपद न्यायालय गाजियाबाद के मुख्य न्यायालय परिसर की बाउण्ड्रीवाल के मलबे की नीलामी के नियम व शर्तें।

1. जनपद न्यायालय गाजियाबाद के मुख्य न्यायालय परिसर की बाउण्ड्रीवाल के मलबे की नीलामी दिनांक 02.12.2019 को सायं 04.00 बजे से जनपद न्यायालय गाजियाबाद के नजारत हाल में अपर जिला जज, न्यायालय संख्या-01, गाजियाबाद, अध्यक्ष नीलामी समिति की अध्यक्षता में गठित समिति के समक्ष की जायेगी।

2. नीलामी की न्यूनतम बोली अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-02, लोक निर्माण विभाग, गाजियाबाद के द्वारा निर्धारित कीमत अंकन 3,23,856.00 रुपये से प्रारंभ होगी। इच्छुक क्रेतागण नियत दिनांक व समय पर उपस्थित होकर नीलामी में भाग ले सकते है। इस नीलामी में सहभागिता हेतु जनपद गाजियाबाद के अधिवक्तागण, न्यायिक अधिकारीगण एवं कर्मचारीगण योग्य नहीं होंगे।

3. जो व्यक्ति बोली बोलना चाहेंगे उन्हें अंकन 10,000/- रुपये नकद अथवा बैंक ड्राफ्ट जनपद न्यायाधीश, गाजियाबाद के नाम प्रतिभूति के रूप में नजारत अनुभाग जमा करना होगा।

4. जमानत/धरोहर राशि जमा करते समय बोलीदाता को अपने निवास प्रमाण-पत्र व पहचान-पत्र की स्वहस्ताक्षरित छायाप्रति एवं 02 पासपोर्ट साइज की फोटो जमा करनी होगी।

5. न्यायालय की बाउण्ड्रीवाल का निरीक्षण इच्छुक व्यक्ति के द्वारा नीलामी के दिनांक से पूर्व किसी भी कार्यदिवस में किया जा सकता है।

6. नालीमी हेतु संदर्भित बाउण्ड्रीवाल के ध्वस्तीकरण का कार्य क्रेता को स्वयं के खर्चे पर करना होगा तथा मलबे का कब्जा जहां है जैसा है के आधार पर दिया जायेगा। किसी भी प्रकार का ढुलाई अथवा मार्ग व्यय देय नहीं होगा। क्रेता को स्वयं के खर्चे पर मलबे का उठान करना होगा।

7. सर्वोच्च बोलीदाता को बोली स्वीकृत होने के उपरान्त 03 दिन के अंदर पूर्ण धनराशि जमा करनी होगी एवं मलबे पर कब्जा 15 दिन के अंदर प्राप्त करना होगा, अन्यथा उसके द्वारा जमा की गयी जमानत/धरोहर राशि सरकार के पक्ष में जब्त कर ली जायेगी।

8. नीलामी में असफल व्यक्तियों द्वारा जमा की गयी जमानत/धरोहर धनराशि नीलामी के उपरान्त उसी दिन वापस कर दी जायेगी।

9. किसी भी स्थिति में माननीय जिला न्यायाधीश, गाजियाबाद का निर्णय सर्वमान्य एवं अंतिम होगा।

उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन किये जाने पर नीलामी निरस्त कर दी जायेगी।

16/11/19

(सुधीर कुमार-III)
अध्यक्ष, नीलामी समिति
अपर जिला जज,
न्यायालय संख्या-01, गाजियाबाद।